

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2601

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2014/भाद्र 17, 1936

No. 260]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2014/BHADRA 17, 1936

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 27 अगस्त. 2014

सं.एन-10/16/2013-पीपीसी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (आकाशवाणी समाचार वाचक-सह-अनुवादक पद) सेवा विनियम 2002 का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या छोड़े गए कार्यों के अतिरिक्त, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से आकाशवाणी में समाचार वाचक-सह-अनुवादक (ग्रेड-II), (ग्रेड-III) और (ग्रेड-III) के पदों के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आकाशवाणी, समाचार वाचक-सह-अनुवादक (ग्रेड-I), (ग्रेड- II) और (ग्रेड- III) भर्ती विनियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, पे **बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान** उक्त पद की संख्या, इनका पे बैंड़ और ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (3) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (4) से (11) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. वरिष्ठता** इन विनियमों के अंतर्गत भर्ती होने वाले समाचार वाचक-सह-अनुवादक की पारस्परिक वरिष्ठता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार होगी।

3539 GI/2014 (1)

5. निरर्हता: वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या,
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- **6. शिथिल करने की शक्ति** जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और प्रसार भारती भर्ती बोर्ड से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति इन नियमों में कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, इनसे संबंधित जिनका सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे या
			वेतनमान
1	2	3	4
1. समाचार वाचक-सह-	20* (2014)	ग्रूप 'ए'	पे बैंड-3 (15,600-
अनुवादक (ग्रेड-I)	* (परिवर्तन कार्य की मात्रा	9 ,	39,100/- और रु.7600/-
	े के अधीन होगा)		ग्रेड पे
	टिप्पणी: प्रत्येक ग्रेड में पदों		
	की संख्या उस ग्रेड के लिए		
	स्वीकृत पदों की कुल संख्या		
	होनी चाहिए और किसी भी		
	समय निगम में प्रति-		
	नियुक्तिवत सरकारी		
	कर्मचारियों और निगम के		
	अधिकारियों और		
	कर्मचारियों की कुल संख्या से		
	ज्यादा नहीं होनी चाहिए।		

क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होती हैं
5	6	7	8
चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

		->	-0-24-0-10
परिवीक्षा की अवधि,			यदि कोई विभागीय पदोन्नति
यदि कोई है	भर्ती से या पदोन्नति से या	ग्रेड जिससे पदोन्नति/	*
	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा	_	सदस्य कौन हैं
	और विभिन्न पद्धतियों से	जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	
	रिक्तियों को भरने का प्रतिशत		
9	10	11	12
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : समाचार वाचक	विभागीय पदोन्नति समिति
		सह अनुवादक (ग्रेड-II) के पद	(पदोन्नति विचार हेतु):
		में पे बैंड-3, रू.15600-	1. प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के
		39100/- ग्रेड पे 6600 सहित	अध्यक्ष या सदस्य अध्यक्ष
		5 वर्ष की नियमित सेवा	प्रसार भारती भर्ती बोर्ड;
		टिप्पणी 1 : जहां कनिष्ठ	अध्यक्ष;
		कर्मियों ने अपनी अर्हता/	2. महानिदेशक (समाचार)
		योग्यता सेवा पूर्ण कर ली हो	समाचार सेवा प्रभाग,
		पदोन्नति के लिए पात्र हैं।	आकाशवाणी : सदस्य;
		उनके वरिष्ठ भी कनिष्ठों के	
		साथ उच्च पद पर पदोन्नति के	आकाशवाणी : सदस्य;
		पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित	4. उप महानिदेशक (प्रशा.) ,
		अर्हता/ योग्यता सेवा इन	आकाशवाणी: सदस्य
		अर्हता/ योग्यता सेवा की आधी	
		से ज्यादा हो या 2 वर्ष जो भी	
		कम हो और अगले उच्च ग्रेड	
		की पदोन्नति के लिए	
		परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक	
		पूरी हो गई हो जिसमें उनके	
		कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने	
		अर्हता/योग्यता सेवा पहले ही	
		प्राप्त कर ली है।	
		टिप्पणी 2: पदोन्नति के लिए	
		न्यूनतम अर्हकता सेवा को	
		आंकने के प्रयोजन से 1 जनवरी	
		2006 से पूर्व किसी अधिकारी	
		द्वारा नियमित आधार पर	
		प्रदान की गई सेवाएं या छठे	
		वेतन आयोग की सिफारिशों	
		पर आधारित संशोधित वेतन	
		ढांचा का विस्तार किया गया	
		हो, उसको छठे वेतन आयोग	
		की सिफारिशों पर आधारित	
		संबंधित ग्रेड पे या विस्तार	
		किए गए पे स्केल में की गई	
		सिवा माना जाएगा।	
		्राचा मामा आड्मा।	

1	2	3	4
2.समाचार वाचक-सह-	60* (2014)	ग्रूप 'ए'	पे बैंड-3 (15,600-
अनुवादक (ग्रेड- II)	* (परिवर्तन कार्य की मात्रा	9 ,	39,100/- और रु.6600/-
	के अधीन होगा)		ग्रेड पे
	टिप्पणी : प्रत्येक ग्रेड में पदों		
	की संख्या उस ग्रेड के लिए		
	स्वीकृत पदों की कुल संख्या		
	होनी चाहिए और किसी भी		
	समय निगम में		
	प्रतिनियुक्तिवत सरकारी		
	कर्मचारियों और निगम के		
	अधिकारियों और		
	कर्मचारियों की कुल संख्या से		
	ज्यादा नहीं होनी चाहिए।		

5	6	7	8
चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : समाचार वाचक	विभागीय पदोन्नति समिति
		सह अनुवादक (ग्रेड-III) पे	(पदोन्नति विचार हेतु):
		बैंड 2, रु.9300 से 34800/,	1.प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के
		ग्रेड पे 4600 के पद में 7 वर्ष	अध्यक्ष या सदस्य अध्यक्ष;
		की नियमित सेवा	2. महानिदेशक (समाचार)
		टिप्पणी 1 : जहां कनिष्ठ	समाचार सेवा प्रभाग,
		कर्मियों ने अपनी अर्हता/	आकाशवाणीः सदस्य;
		योग्यता सेवा पूर्ण कर ली हो	3. अपर महानिदेशक
		पदोन्नति के लिए पात्र हैं,	(कार्यक्रम) आकाशवाणी :
		उनके वरिष्ठ भी कनिष्ठों के	सदस्य;
		साथ उच्च पद पर पदोन्नति	4.उप महानिदेशक (प्रशा.)
		के पात्र हैं बशर्ते उनकी	आकाशवाणी : सदस्य ।
		अपेक्षित अर्हता/ योग्यता	
		सेवा इन अर्हता/ योग्यता	
		सेवा की आधी से ज्यादा हो	
		या 2 वर्ष जो भी कम हो और	
		अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति	
		के लिए परिवीक्षावधि	
		सफलतापूर्वक पूरी हो गई हो	
		जिसमें उनके कनिष्ठ भी	
		शामिल हैं जिन्होंने अर्हता/	
		योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त	
		कर ली है।	
		टिप्पणी-2: पदोन्नति के लिए	
		न्यूनतम अर्हकता सेवा को	
		आंकने के प्रयोजन से	

	1 जनवरी 2006 से पूर्व	
	किसी अधिकारी द्वारा	
	नियमित आधार पर प्रदान	
	की गई सेवाएं या छठे वेतन	
	आयोग की सिफारिशों पर	
	आधारित संशोधित वेतन	
	ढांचा का विस्तार किया गया	
	हो, उसको छठे वेतन आयोग	
	_	
	की सिफारिशों पर आधारित	
	संबंधित ग्रेड पे या विस्तार	
	किए गए पे स्केल में की गई	
	सेवा माना जाएगा।	

1	2	3	4
3. समाचार वाचक-सह-	158* (2014)	ग्रुप 'बी'	पे बैंड-2 (9,300-
अनुवादक (ग्रेड -III)	* (परिवर्तन कार्य की मात्रा		34,800/- और रु.4600/-
	के अधीन होगा)		ग्रेड पे
	टिप्पणी : प्रत्येक ग्रेड में पदों		
	की संख्या उस ग्रेड के लिए		
	स्वीकृत पदों की कुल संख्या		
	होनी चाहिए और किसी भी		
	समय निगम में प्रतिनियुक्ति-		
	वत सरकारी कर्मचारियों		
	और निगम के अधिकारियों		
	और कर्मचारियों की कुल		
	संख्या से ज्यादा नहीं होनी		
	चाहिए।		

5	6	7	8
लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: (क) मान्यता प्राप्त	लागू नहीं
		विश्व विद्यालय से स्नातक	•
	को 5 वर्ष की छूट (उक्त पद	डिग्री	
	में की गई सेवा के आधार पर	(ख) रिक्ति से संबंधित	
	प्रसार भारती (भारतीय	समाचार पत्रों, समाचार	
	प्रसारण निगम) में समाचार	एजेंसियों या समाचार	
	वाचक सह अनुवादक के रूप		
	में और नैमित्तिक कर्मियों को	अंग्रेजी में अनुवाद या हिंदी	
	उनकी सेवा के आधार पर	संपादित स्क्रिप्ट का संबंधित	
	छूट)	भाषा में अनुवाद में तीन वर्ष	
	टिप्पणी 1 : प्रसार भारती	का अनुभव।	
	(भारतीय प्रसारण निगम) में	(ग) रिक्ति से संबंधित भाषा	
	समाचार वाचक सह-	में दक्षता	
	अनुवादक के रूप में नैमित्तिक	(घ) प्रसारण के लिए उपयुक्त	
	रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों	अति उत्तम आवाज। और	
	की सेवा की गणना करते हुए		
	कैलेंडर वर्ष में एक सौ बीस	दक्षता का अर्थ है कि अर्हक	

दिन की अवधि को एक वर्ष को उस भाषा का ज्ञान कम से कम दसवीं तक हो। माना जाएगा। टिप्पणी 2: संविधान की स्पष्टीकरण: की गई सेवा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट नैमित्तिक किसी भी भारतीय भाषाओं आधार पर में से सीधी भर्ती की जाएगी। समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में कैलेंडर टिप्पणी 3: उपयुक्त भाषा वर्ष में एक सौ बीस दिन की की आवश्यकता को प्रत्येक कुल अवधि को एक वर्ष माना भर्ती के समय इंगित किया जाएगा और कैलेंडर वर्ष में जाएगा। टिप्पणी 4: नियुक्ति के लिए एक सौ बीस दिन की अवधि से कम आयु में छूट की चयनित सभी उम्मीदवारों निर्हरता होगी। को प्रसार भारती भर्ती बोर्ड टिप्पणी द्वारा आयोजित ऑडिशन **2**:आयु सीमा निर्धारण हेत् निर्णायक तिथि टेस्ट में अर्हकता प्राप्त करनी भारत में उम्मीदवार से होगी। आवेदन पत्र प्राप्त करने की वांछनीय: अंतिम तिथि होगी (और (क) रिक्ति से संबंधित भाषा और हिंदी और अंग्रेजी के असम, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, मेघालय. अलावा किसी अन्य भारतीय अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, भाषा में दक्षता सिक्किम, लद्दाख, जम्मू और (ख) रेडियो, पत्रिकाओं या कश्मीर राज्य के प्रभाग, किताबों या समाचार हिमाचल प्रदेश के लाहौल एजेंसियों या समाचार और स्पीति जिले और चम्बा संगठनों में कार्य अनुभव। जिले के पांगी उप प्रभाग, (ग) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अण्डमान और निकोबार द्वीप समसामयिकी. गतिविधियों समृह और लक्षद्वीप के लिए और प्रसिद्ध व्यक्तियों का अंतिम तिथि निर्धारित नहीं ज्ञान।

9	10	11	12
दो वर्ष	प्रसार भारती भर्ती बोर्ड द्वारा	लागू नहीं।	विभागीय पदोन्नति समिति
	आयोजित लिखित परीक्षा के		(स्थायीकरण विचार हेतु):
	माध्यम से सीधी भर्ती।		1. महानिदेशक (समाचार)
			समाचार सेवा प्रभाग,
			आकाशवाणी: सदस्य;
			2. अपर महानिदेशक
			(कार्यक्रम) आकाशवाणी :
			सदस्य;
			3. उप महानिदेशक (प्रशा.)
			आकाशवाणी : सदस्य I

है)

ब्रिडेडियर (अव. प्राप्त) एस. विश्वानाथन, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/असा./163/64]

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2014

No. N-10/16/2013-PPC.— In exercise of the powers conferred by Section 9 read with clause (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Akashvani News Reader-cum-Translator posts) Service Regulations, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), with the prior approval of the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of News Reader-cum-Translator (Grade I), (Grade II) and (Grade III), in Akashvani, Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), namely:—

1. Short title and commencement –

- (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), Akashvani, News Reader-cum-Translator (Grade I), (Grade II) and (Grade III) Recruitment Regulations, 2014
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, pay band and grade pay or pay scale** The number of posts, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) and (3) of the Schedule annexed to these regulations.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (4) to (11) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Seniority** The inter-se seniority of News Reader-cum-Translators who are appointed under these regulations shall be in accordance with the general instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.
- Disqualification No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 6. **Power to relax** Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Prasar Bharati Recruitment Board and with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 7. **Saving** Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and grade pay or pay scale
1	2	3	4
1. News Reader-cum- Translator (Grade- I)	20* (2014) *(Subject to variation dependent on the work load). Note: The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'A'	Pay band-3 Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 7600/

Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
5	6	7	8
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Period of probation, if any	Method of recruitment:	In case of recruitment	If a Departmental
remou or production, it any			Promotion
	•	by promotion or	
	recruitment or by	deputation or absorption	Committee exists, what is
	promotion or by	grades from which	its composition
	deputation or absorption	promotion or deputation	
	and percentage of	or absorption to be made	
	vacancies to be filled by	or absorption to be made	
	various methods		
9	10	11	12
Not applicable	By promotion.	Promotion	Departmental Promotion
		News Reader-cum-	Committee (for considering
		Translator (Grade -II) in	promotion)_ consisting of :-
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
		pay band -3, Rs.15600-	(1) Chairman or Member,
		39100 with grade pay of	Prasar Bharati Recruitment
		Rs. 6600, with five years	Board : Chairman;
		regular service in the grade.	
		Note 1: Where juniors	(2) Director General
		have completed their	(News), News Service
		qualifying or eligibility	Division, Akashvani:
			The state of the s
		service are being considered	Member;
		for promotion, their seniors	
		shall also be considered	(3) Additional Director
		provided they are not short	General (Programme),
		of the requisite qualifying	Akashvani: Member;
		or eligibility service by	
			(4) Danieta Dinastan
		more than half of such	(4) Deputy Director
		qualifying or eligibility	General
		service or two years,	(Administration),
		whichever is less, and have	Akashvani: Member
		successfully completed	
		their probation period for	
		promotion to the next	
		-	
		higher grade along with	
		their juniors who have	
		successfully completed	
		their probation period for	
		promotion to the next	
		higher grade along with	
		their juniors who have	
		already completed such	
		*	
		qualifying or eligibility	
		service.	
		Note 2: For the purpose of	
		computing minimum	
		qualifying service for	
		promotion the service	
		-	
		rendered on a regular basis	
		by an officer prior to the	
		1st January, 2006 or the	

date from which the revised
pay structure based on the
recommendations of the
Sixth Central Pay
Commission has been
extended, shall be deemed
to be service rendered in the
corresponding grade pay or
pay scale extended based on
the recommendations of the
said Pay Commission.

1	2	3	4
2. News Reader-cum-	60*	Group 'A'	Pay band-3 Rs. 15600-
Translator (Grade- II)	(2014)		39100/- with grade pay
	*(Subject to variation		of Rs. 6600/-
	dependent on the work		
	load).		
	Note: The number of posts		
	in each grade is the total		
	number of the posts		
	sanctioned for that grade		
	and at any time, it shall not		
	exceed the aggregate		
	number of posts occupied		
	by the Government servants		
	on deemed deputation to the		
	Corporation and the officers		
	and employees of the		
	Corporation.		

5	6	7	8
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12
Two years	By promotion	Promotion:	Departmental Promotion
		News Reader-cum-	Committee (for considering
		Translator (Grade - III) in	promotion) consisting of :-
		the pay band -2, Rs. 9300-	(1) Chairman or Member,
		34,800 with grade pay of	Prasar Bharati Recruitment
		Rs.4600 with seven years'	Board : Chairman;
		regular service in the grade.	(2) Director General
		Note 1: Where juniors	(News), News Service
		have completed their	Division, Akashvani:
		qualifying or eligibility	Member;
		service are being considered	(3) Additional Director
		for promotion, their seniors	General (Programme),
		shall also be considered	Akashvani : Member;
		provided they are not short	(4) Deputy Director General
		of the requisite qualifying	(Administration),
		or eligibility service by	Akashvani : Member;
		more than half of such	
		qualifying or eligibility	
		service or two years,	
		whichever is less, and have	

C 11 1 . 1
successfully completed
their probation period for
promotion to the next
higher grade along with
their juniors who have
successfully completed
their probation period for
promotion to the next
higher grade along with
their juniors who have
already completed such
qualifying or eligibility
service.
Note 2: For the purpose of
computing minimum
qualifying service for
promotion the service
rendered on a regular basis
by an officer prior to the
1st January, 2006 or the
date from which the revised
pay structure based on the
recommendations of the
Sixth Central Pay
Commission has been
extended, shall be deemed
to be service rendered in the
corresponding grade pay or
pay scale extended based on
the recommendations of the
said Pay Commission.

1	2	3	4
3. News Reader-cum-	158*	Group 'B'	Pay band-2, Rs. 9300-
Translator (Grade- III)	(2014)		34800/- with grade pay
	* (Subject to variation		of Rs. 4600/-
	dependent on the work		
	load).		
	Note: The number of posts		
	in each grade is the total		
	number of the posts		
	sanctioned for that grade		
	and at any time, it shall not		
	exceed the aggregate		
	number of posts occupied		
	by the Government servants		
	on deemed deputation to the		
	Corporation and the officers		
	and employees of the		
	Corporation.		

5	6	7	8
Not applicable	Not exceeding 30 years.	Essential	Not applicable.
	[Relaxable for employees		
	of Prasar Bharati	a) Bachelor's degree	
	(Broadcasting Corporation	from a recognized	
	of India) up to five years	University;	

and for casual assignees working as News Readercum-Translator in the Prasar Bharati

(Broadcasting Corporation of India) to the extent of their services rendered in the said post]

Note 1: While calculating the service of the casual assignees working as News Reader-cum-Translator in the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), a period of one hundred and twenty days service in a calendar year shall be reckoned as one year service.

Explanation – For the purposes of determining the extent of service rendered, engagement of an assignee for a total period of one hundred and twenty days in a calendar year as News Reader-cum-Translator on casual basis shall be taken as one year and any period less than one hundred and twenty days in a calendar year shall not qualify for relaxation of age.

Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District Himachal of Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)

- Three years working experience in News papers, news agencies news organizations in translating the news items from English or Hindi scripts edited to languages concerned relevant to the vacancy.
- c) Proficiency in the language relevant to the vacancy.
- d) Voice of very good quality suited for broadcasting;

Note 1: Proficiency in the relevant language means that a candidate must have studied in that language up to matriculation.

Note 2: Direct recruitment shall be made to any of the Indian languages specified in Eighth Schedule to the Constitution.

Note 3: The exact language requirement shall be indicated at the time of each recruitment.

Note 4: All candidates short-listed for appointment shall be required to qualify an audition test to be conducted by Prasar Bharati Recruitment Board.

Desirable:

- a) Proficiency in any other Indian language besides Hindi or English and the concerned language relevant to the vacancy.
- b) Experience of writing for radio, periodicals or books or experience of work in news papers or news agencies or news organization.
- c) Knowledge of current national or international affairs, events and personalities.

9	10	11	12
Two years	By direct recruitment	Not applicable	Departmental Confirmation
	through a written		Committee (for considering
	examination conducted by		confirmation) consisting
	the Prasar Bharati		of:-
	Recruitment Board		(i) Director General
			(News), News Service
			Division, Akashvani :
			Member;
			(ii) Additional irector
			General (Programme),
			Akashvani: Member;
			(iii) Deputy Director
			General (Administration),
			Akashvani : Member.

Brig (Retd.) S.VISVANATHAN, Addl. Director General (Admn.) [ADVT. III/4/Exty./163/64]